संचिका संख्या – 14/डी० एल० ए० सिवान (संपर्क सड़क) – 04/2013

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

–: अधिसूचना :–

पत्र सं० ...545/रा० सिवान दिनांक...12-02-13

चूंकि बिहार सरकार को प्रतीत होता है कि मौजा– कोड़र, थाना नं०– 216, थाना– सिवान, परगना– बाल, जिला– सिवान के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात महादलित बस्ती में जाने हेतु सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु राजस्व विभाग, बिहार सरकार के खर्च पर भूमि ली जानी है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त मौजा– कोड़र, थाना नं०– 216, के अन्दर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कम–बेस 0.225 एकड़ के बराबर होता है, जिसका अधिसूचित खेसरा निम्न प्रकार है :– खेसरा नं० 06, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103 सभी अंश।

अधिसूचित भूमि की चौहद्दी

उत्तर – सिवाना पैगम्बरपुर

दक्षिण – 67 अंश, वगैरह।

पूरब – 98, अंश, 103 अंश, 93 अंश।

पश्चिम– 06 अंश, 94 अंश, 95 अंश, 96 अंश, 97 अंश।

यह अधिसूचना भू अर्जन अधिनियम 1,1894 की धारा 4 के उपबन्धो के अधीन जैसा कि बिहार भू–अर्जन अधिनियम II सन् 1984 के सुधार के अनुसार संशोधित है, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है। सरकारी भूमि पाये जाने पर हस्तानान्तरण की कार्रवाई की जाएगी। अर्जनाधीन भूमि का नक्शा, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सिवान के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से सम्बंधित आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे बिहार सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम कि धारा 4 की उप धारा 2 में यथा उपबंधित या विर्निदिष्ट सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि उक्त भूमि का अर्जन तुरंत आवश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम कि धारा 17 की उप धारा 4 के अधीन निर्देश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (ए) के उपवंध उक्त भूमि पर लागू नही होंगें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्त्ता,
सिवान।
8/1/13

सरकार के अवर सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांक संख्या–14 / डी0 एल0 ए0 सिवान (संपर्क सड़क) – 04 / 2013-445/रा० दि0– 12 - 02 - 13

प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, समाहरणालय, सिवान को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त उक्त की 10 (दस) प्रतियां जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सिवान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. समाहर्त्ता, सिवान को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

11/2/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।